



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 264]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

सं. 7/6/2011 – एचईएंडएमटी.—"भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि पर स्कीम।

1. भूमिका

1.1 भारतीय केपिटल गुड्स विनिर्माण क्षेत्र मूल्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण इकाई है। केपिटल गुड्स सेक्टर के प्रौद्योगिकी के स्तर भारतीय विनिर्माण में उपयोग हो रही प्रौद्योगिकियों का निर्धारण करती है, इस प्रकार काफी हद तक इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता है। भारत उस दहलीज पर खड़ा है, जहां से, यदि भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग को सहायता दी जाए तो वह जल्द ही वैश्विक बन जाएगा अन्यथा भारत पुरानी मशीनों का विश्व का बढता हुआ कबाड़खाना और मशीनों तथा संघटकों का सबसे बड़ा आयातक बनता रहेगी।

1.2 इस सेक्टर में लगभग 25 विभिन्न प्रकार की मशीनें शामिल हैं। सात प्रमुख उप सेक्टर निम्नलिखित हैं:-

- i. मशीन उपकरण, उपकरण, मिश्रित उपकरण, पांसे और सांचे।
- ii. वस्त्र मशीनरी (जूट मशीनरी सहित)
- iii. भारी विद्युत उपकरण
- iv. खनन और निर्माण उपकरण
- v. प्लास्टिक मशीनरी
- vi. धातुकर्म उपकरण
- vii. प्रोसेस संयंत्र उपकरण

1.3 वर्तमान में प्रमुख उप सेक्टरों की मांग ₹ 2,90,000 करोड़ की है, जिसमें से घरेलू उत्पादन ₹ 1,85,000 करोड़ का है, निर्यात ₹ 46,000 करोड़ का होता है। हालांकि, आयात ₹ 1,51,000 करोड़ का होता है। यह सेक्टर 1.4 मिलियन कुशल औद्योगिक कामगारों और अधिकारियों को सीधे नियुक्त करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग, भारत में गतिशील और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत विनिर्माण का सृजन करने के उद्देश्य से देश में कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास को प्रोत्सहित करता है।

1.5 प्रधानमंत्री के समूह ने अपनी रिपोर्ट (पीएमजीआर) में कैपिटल गुड्स की पहचान एक ऐसे सेक्टर के रूप में की है जो राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए दीर्घकाल तक महत्वपूर्ण है। पीएमजीआर ने सिफारिश की है कि अनुसंधान और विकास सुविधाओं से युक्त उच्च कोटि की आधुनिक क्षमताओं के निर्माण मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक सुदृढीकरण के साथ निजी सेक्टर में इन क्षेत्रों की वृद्धि और विकास के प्रोत्सहित करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तथा चुनिंदा कैपिटल गुड्स उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने और उनका संवर्धन करने हेतु विद्यमान नीतियों पर दोबारा चर्चा करने के द्वारा इन प्रत्येक क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए।

1.6 उद्योग पिछले पांच वर्षों से सभी मंचों पर कैपिटल गुड्स सेक्टर के आधुनिकीकरण की मांग करता रहा है। कुछ वर्ष पहले भारतीय कैपिटल गुड्स उद्योग ने सेक्टर पर व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया था। इस अध्ययन में आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

1.7 भारी उद्योग विभाग ने भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर के साथ मिलकर कैपिटल गुड्स सेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए गैडमैप और स्कीम विकसित करने का अध्ययन किया था।

1.8 योजना आयोग के तत्वावधान में उद्योग पर बने कार्यकारी दल ने भी उद्योग के आधुनिकीकरण आवश्यकताओं की सिफारिश की है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में भी कैपिटल गुड्स सेक्टर को महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में महत्व दिया गया है।

2. प्रमुख अवरोध, उनका उद्योग पर प्रभाव तथा उनको कम करने के लिए प्रस्तावित कदम:

2.1 प्रौद्योगिकी और ज्ञान संबंधी अवरोध

- i. प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण का अभाव - प्रौद्योगिकी का मौजूदा स्तर गतकालिक है। बड़ी कंपनियां कुछ हद तक अपना आधुनिकीकरण कर पाई हैं, परन्तु संघटकों और सहायक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं पर निर्भर हैं।
- ii. अग्रणी प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और विकास सहायता का अभाव - संस्थागत अनुसंधान और विकास सहायता के बिना कैपिटल गुड्स इकाइयां अग्रणी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और अपनाने में अमर्थ हैं। इससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता नष्ट हो जाती है।
- iii. कुशल जनशक्ति का अभाव - उद्योग मानव संसाधन विकास नीतियों में भी पिछड़ रहा है जो बेहतर प्रतिभा को आकर्षित कर सके। उदाहरण के लिए : बीएचईएल एक ही स्तर पर बी.टेक, एम.टेक और पीएचडी अभ्यर्थियों की भर्ती करता है। इस प्रकार, उच्च शिक्षा और दक्षता हासिल करने के लिए विद्वानों के लिए कोई प्रोत्साहन, करियर और क्षतिपूर्ति पैकेज नहीं है। बेहतर प्रतिभा अन्य सेक्टरों जैसे कि बिजली के घरेलू उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधन और उपभोज्य वस्तुओं के बिक्री और विपणन का रुख कर लेती हैं जो अच्छा भुगतान करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रतिभा का बुरूपयोग हो जाता है। दूसरी ओर, भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर गंवाए हुए अवसरों से तथा जीवित रहने की कठिनाइयों से बुरी तरह प्रभावित है। क्योंकि उसकी स्वयं की ज्ञान संवर्धन क्षमताएं बेहद सीमित हैं। भारतीय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र का एक अच्छा उदाहरण है जहां पर उच्चतर दक्षता और ज्ञान की आवश्यकता वाले काम के लिए उच्चतर प्रतिभा वाले लोगों को ही लिया जाता है। स्नातकोत्तरों और पीएचडी स्तर के विद्यार्थियों को एक समान ग्रेड का वेतन दिया जाता है परन्तु पीएचडी स्तर के विद्यार्थियों को उच्चतर स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जिससे ऐसे अधिक प्रतिभावानों को करियर, प्रोत्साहन और समुचित वेतन पैकेज उपलब्ध होता है। चिकित्सा क्षेत्र, इस प्रकार, अत्यन्त लाभ में है तथा चिकित्सीय दक्षता के लिहाज से विश्वस्तरीय है। भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर को अपनी समस्याओं को जानना होगा तथा स्वयं अपने संगठनों में एक अलग अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी संवर्ग बनाए जाने सहित इस जैसे मॉडलों को कार्यान्वित करना होगा।
- iv. तकनीकी संस्थानों से उद्योग का वियोजन: इसकी वजह से अनुसंधान और विकास, डिजाइन, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण, विनिर्माण प्रक्रियाओं आदि जैसे सेक्टरों में संस्थागत आउटपुट की वह गुणवत्ता नहीं मिल पाती जो उद्योग द्वारा अपेक्षित होती है। संस्थानों और उद्योग दोनों में ही प्लेटफार्म तैयार करने की जरूरत है जिससे कि वे आपसे में एक-दूसरे से जुड़ सकें।

2.2 नीतिगत अवरोध

- v. आयात करना सस्ता और सरल : केपिटल गुड्स आयात करना सरल है और कम खर्चीला है। सेकंड-हैंड केपिटल गुड्स समेत मुक्त व्यापार नीति होने से चीन के बाद भारत केपिटल गुड्स का दूसरा सबसे बड़ा आयातकर्ता बन गया है। एफटीए अथवा विशेष प्रावधानों के अंतर्गत शुल्क शून्य होने के कारण आयात करना सस्ता होता है तथा केपिटल गुड्स के घरेलू विनिर्माण पर बिक्री कर, प्रवेश कर, चुंगी मूल्य वर्धित कर जैसे अतिरिक्त सांविधिक कर तथा अन्य स्थानीय शुल्क लगाए जाते हैं। इससे क्षमता उपयोग, आधुनिकीकरण, निवेशों और वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नीतिगत सुधारों के लिए विभाग ने पहले से ही प्रभावी कदम उठाए हैं।

2.3 औद्योगिक अवसंरचना तथा अन्य इन्पुट अवरोध:

- vi. नए निवेशों की कमी के कारण क्षमता अवरोध: केपिटल गुड्स उद्योग पूंजीपरक होते हैं और उनकी उत्पादन-पूर्व कालावधि भी लंबी होती है; इसके अलावा, नई क्षमताओं के सृजन के लिए भूमि तथा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इन कारणों से, नई क्षमता के सृजन की गति धीमी रही है और इससे केपिटल गुड्स के वृद्धित आयात को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। क्षमता वृद्धि के लिए नए निवेश लाना केपिटल गुड्स सेक्टर की प्राथमिकता है।
- vii. अवसंरचना अवरोध: अस्थिर बिजली और उसकी उच्च लागत, पत्तन पर अधिक भीड़ तथा जहाज को पत्तन से वापसी में लगने वाले अधिक समय ईंधन की उच्च लागत तथा समुद्र तटक्षेत्र के साथ पत्तनों/विमानपत्तनों का खराब सड़क संपर्क जिसके परिणामस्वरूप परिवहन की उच्चतर लागत तथा धन की उच्च लागत से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2.4 उपर्युक्त परिस्थिति के फलस्वरूप भारत विश्वभर में केपिटल गुड्स के आयात के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जबकि उन्नयन पश्चात घरेलू क्षमता इतनी होगी कि केपिटल गुड्स का उत्पादन आयात के बराबर ही हो सकता है।

2.5 स्कीम के अभाव में, आयात होना जारी रहेगा और स्वदेशी केपिटल गुड्स उद्योग तथा उपयोगकर्ता उद्योग पर विपरीत प्रभाव यह पड़ेगा कि इकाइयां बंद होने लगेंगी, रोजगार की हानि, निवेश की कमी तथा देश का सामाजिक ढांचा प्रभावित होगा।

2.6 उद्योग की समग्र वृद्धि के लिए स्कीम प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश दक्षता विकास को प्रोत्साहन और आधुनिक विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देगी। एसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन से बड़ी कंपनियां बड़े आर्डरों को तीव्रता से निष्पादित करने में छोटे विक्रेताओं से पर्याप्त सहायता पाने में समर्थ बन सकेंगे।

2.7 यह स्कीम कुछ अवरोधों के प्रभाव का शमन करने और केपिटल गुड्स उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का प्रस्ताव करती है ताकि यह उद्योग बढ़ते हुए आयात के असर को झेलने और निर्यात बढ़ाने में समर्थ हो सके। यह स्कीम वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों को काफी हद तक प्रतिसंतुलित करेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस स्कीम में विनिर्माण सेक्टर में वृद्धि का फिर से संचार करने के लिए कार्रवाइयों का तालमेल 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ बनाने की परिकल्पना की गई है।

2.8 प्रस्तावित स्कीम में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ₹ 581.22 करोड़ के सरकारी निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें से अधिकतर राशि से स्थायी तकनीकी सेवाएं और साझे सुविधा केन्द्रों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

3. उद्देश्य

3.1 "भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि" पर स्कीम का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है क्योंकि कार्यान्वित कर दिए जाने के पश्चात यह स्कीम साझे औद्योगिक सुविधा केन्द्रों का सृजन करने के अलावा केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकीय गहनता के मुद्दों का निवारण करके भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास करेगी।

4. प्रौद्योगिकी विकास/अधिप्राप्ति और सेवा अवसंरचना के लिए सहायता हेतु "भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि" पर स्कीम का कार्यक्षेत्र।

4.1 इस स्कीम में प्रौद्योगिकी विकास और साझे विनिर्माण/सेवा अवसंरचना की स्थापना और उसके सुदृढीकरण के लिए नए तथा विद्यमान संस्थानों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

4.2 घरेलू केपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना इस स्कीम का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

4.3 भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर की वर्तमान संरचना ने 1991 के उदारीकरण के पश्चात निजी तकनीकी उद्यमियों के हाथों आकार लेना शुरू कर दिया। तथापि, इन इकाइयों के आकार में छोटे होने की वजह से, ये इकाइयां प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण के साथ तालमेल नहीं रख सकीं।

4.4 राष्ट्रीय प्राथमिकताएं वस्त्र, राजमार्ग, इस्पात, उर्वरक आदि से संबद्ध होने तथा विदेश व्यापार संबंधों के परिणामस्वरूप मुक्त और सस्ते केपिटल गुड्स के आयात का दौर शुरू हुआ।

4.5 इससे केपिटल गुड्स सेक्टर का आधुनिकीकरण, क्षमता बढ़ोतरी और नए निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन अवरुद्ध हो गया।

4.6 भारत सेकंड हैंड केपिटल गुड्स की पहुंच की अनूठी विशेषता के साथ केपिटल गुड्स के लिए विश्व का चोटी का बाजार बन गया।

4.7 अन्यत्र कहीं के केपिटल गुड्स विनिर्माताओं ने भारत में निवेश करने की बजाय भारत को निर्यात करना अधिक लाभदायक होने के कारण निर्यात करना पसंद किया। उन्होंने अपनी प्रौद्योगिकियां भारत को नहीं सौंपीं। भारत में सेकंड हैंड केपिटल गुड्स के आयात ने भारतीय केपिटल गुड्स विनिर्माताओं के लिए स्थिति और अधिक कठिन हो गई।

4.8 यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राज्य अमरीका और जापान द्वारा प्रौद्योगिकी देने से इनकार कर देने की वैसी ही स्थिति का सामना करने पर, कुछ वर्ष पहले चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया ने स्थानीय प्रौद्योगिकी विकास क्षमताओं के सृजन के आधार पर मशीन निर्माण हेतु विशाल राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने मशीन और संघटक विनिर्माण का स्थानीयकरण करने से शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने खुद की प्रौद्योगिकी और उत्पादों के विकास की उन्नति की। आज ये देश केपिटल गुड्स के प्रमुख निर्यातक हैं।

4.9 प्रस्ताव पहला कदम है और 'नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से विनिर्माण में गहनता' की वृद्धि के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण योजना के उद्देश्यों के साथ समन्वय में है।

4.10 इन उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों (पीटीडीसी) का सृजन बहुत तरीकों से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जैसे जगहों तथा इस जैसे संस्थानों में अभिज्ञात सब-सेक्टरों के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी विकास के उन्नत उत्कृष्ट केन्द्रों को अकेले अथवा उपयोगकर्ता उद्योग तथा विदेश में अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे कि फ्रॉन्टोफर इंस्टिट्यूट ऑफ जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ आचेन, टोक्यो यूनिवर्सिटी, एमआईटी आदि के साथ सहायता संघ में स्थापित करने के माध्यम से किया जा सकता है। ये केन्द्र प्रौद्योगिकियों का विकास निम्नलिखित के माध्यम से करेंगे :—

- उपयोगकर्ताओं/उद्योग, अन्य हितधारकों और ज्ञान प्रदाताओं के साथ संघ बनाकर,
- भारत और विदेश में प्रवर्तित परियोजनाएं (पार्ट)
- संविदात्मक अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी परिनियोजन,
- और अधिक विकास/स्वदेशीकरण के लिए आईपीआर/प्रौद्योगिकी की खरीद अथवा लाइसेंसिंग,
- संस्थानों के केन्द्रों में उद्योग के विशेषज्ञों की सेवाएं लेना अथवा संविदा पर नियुक्त करना,
- प्रायोजित विद्वान/विद्यार्थी परियोजनाएं,
- एसएमई के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं का निवारण,
- एक इकाई अथवा इकाइयों के समूह को तकनीकी परामर्श प्रदान करना,
- अंतरराष्ट्रीय अथवा द्विपक्षीय प्रौद्योगिकीय विकास,
- संयुक्त जांच मैकेनिज्म द्वारा विचारित अन्य पद्धतियां।

आशा है कि प्रौद्योगिकी विकास के लिए स्वदेशी प्रयासों से, खासतौर पर उस क्षेत्र में जहां प्रौद्योगिकी अंतरण में भारत की सीमित पहुंच है, बहुत सारे प्रौद्योगिकी के अभावों को पूरा कर लिया जाएगा।

आगे के दिशा-निर्देश पैरा 5 पर हैं।

4.11 दूसरी प्रकार की सुविधाएं साझी औद्योगिकी सुविधाएं हैं जिनमें एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना केन्द्र (आईआईआईसी), साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) और अर्थमूविंग (निर्माण एवं खनन) मशीनरी परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र शामिल हैं।

4.11.1 एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना केन्द्र (आईआईआईसी): मशीन टूल सेक्टर को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, उत्पादन हेतु पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। मशीन टूल पार्क की स्थापना, सेक्टर को लागत प्रभावी बनाएगी, उच्च तकनीक मशीन से युक्त करेगी, निर्यात क्षमता में वृद्धि तथा अधिक निवेश आकर्षित करेगी।

एक या उससे अधिक मदर मशीनरी इकाई मुख्य आधार प्रचारक की भूमिका निभाएगी और पार्क में इकाइयां स्थापित करने के लिए अपने सभी महत्वपूर्ण विक्रेताओं को आमंत्रित करेगी। सभी विक्रेता साथ मिलकर पार्क को बढ़ावा देंगे और मदर मशीनरी इकाई में एक-दूसरे के लिए सोर्सिंग केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। इस अवधारणा से मदर मशीनरी इकाइयों को संघटकों की समय-सीमा में कटौती करने, उनके विक्रेताओं द्वारा उत्पादित संघटकों की गुणता का गहन पर्यवेक्षण करने, विनिर्माण प्रक्रियाओं के मानकीकरण में उनको सहायता प्रदान करने, असेम्बली समय में कटौती करने, उत्पादकता बढ़ाने और उसके द्वारा लागत प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद कर सकती है। प्रस्तावित उपाय से संगतता सुनिश्चित होगी तथा इकाइयों के एक जगह एकत्र होने से वे न्यूनतम आर्थिक आकार के अवरोध दूर करने में समर्थ हो सकेंगे तथा साझी सुविधाओं के उपयोग में भागीदार बन सकेंगे।

4.11.2 साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी): केपिटल गुड्स सेक्टर में विचाराधीन सामान्य और विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण तथा अन्य सभी हाई-टेक मशीनिंग और सेवा संबद्ध अन्य सुविधाएं नहीं है। ऐसी सुविधाओं की कमी उद्योग की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र में फाउंड्री एंड हीट ट्रीटमेंट, परीक्षण प्रयोगशालाओं, डिजाइनिंग सुविधाओं, सामान्य और विशिष्ट मशीनरी इत्यादि जैसी साझी सुविधाओं की स्थापना की जा सकती है। यह सुविधा कैपिटल गुड्स मशीनरी विनिर्माताओं को देश की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केपिटल गुड्स के विकास से सक्षम बनाएगी।

4.11.3 परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र: अर्थमूविंग (निर्माण और खनन) मशीनरीज के परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र को शीघ्र ही अनिवार्य किया जाना है। वर्तमान में अर्थमूविंग मशीनरी के परीक्षण के लिए कोई परीक्षण सुविधा नहीं है। परीक्षण केन्द्रों की स्थापना से पुरानी और अप्रचलित मशीनरी के आयात को अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन द्वारा रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र अर्थमूविंग मशीनरी के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाएगा।

प्रस्तावित परीक्षण केन्द्र, प्रथम चरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेषकर अर्थमूविंग मशीनरी के लिए, उन्नत प्रयोगशाला जैसे कि स्ट्रक्चरल बेंच, हीट ट्रान्सफर लैब, हाइड्रोलिक्स लैब, मैटेरियल लैब, वरच्यूअल रियेलिटी लैब साथ ही साथ परीक्षण ट्रेक्स की स्थापना द्वारा क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। 13वीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे और तीसरे चरणों में, संचरना का परीक्षण, इंजन उत्सर्जन एवं स्थायित्व लैब, ड्राइवलाइन और पारेषण परीक्षण, हाइड्रोलिक्स चेंबर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स लैब और अन्य लैब्स स्थापित किए जाएंगे।

आगे के दिशा-निर्देश पैरा 5 में दिए गए हैं।

4.12 भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) उद्योग द्वारा शुरू की जाने वाली एक पहल है। इस विशिष्ट उद्योग और/या संघ के अंतर्गत लक्षित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए सहायता दी जाएगी। केपिटल गुड्स सेक्टर में तकनीकी अंतरण/अधिग्रहण को प्रेरित करने हेतु उन्हें सरकारी अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा एकबारगी अनुदान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम विशेषतः उन तकनीकों पर लक्षित है जो आर एंड डी/ अंतरण/ लाइसेंसिंग/ अधिग्रहण/ आईपीआर कार्य हेतु उपलब्ध है।

दिशा निर्देश निम्न पैराग्राफ में दिए गए हैं:

5. "भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता का विस्तार" पर स्कीम के तहत संघटक विशिष्ट दिशा-निर्देश।

5.1 इस योजना के निम्नलिखित संघटक हैं जिनके दिशा-निर्देश निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाए गए हैं:-

संघटक	
1.	शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खडगपुर और केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलुरु जैसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों के साथ अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए उन्नत उत्कृष्टता केन्द्र।
2.	एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएं।

3.	साझे इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र।
	परीक्षण तथा प्रमाणन केन्द्र।
4.	प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति निधि कार्यक्रम।

6. शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खडगपुर और केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलुरु जैसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों के साथ अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए उन्नत उत्कृष्टता केन्द्र।

6.1 उद्देश्य: भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर पुरानी प्रौद्योगिकियों की वजह से हानि उठा रहा है। 'केपिटल गुड्स एवं इंजीनियरिंग सेक्टर' के संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यदल की रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी कमियों की पहचान की गई है। इस रिपोर्ट में इन प्रौद्योगिकी कमियों को पूराने करने के लिए सरकारी सहायता की अनुशंसा की गई है क्योंकि ये स्थानीय निर्माताओं के सामर्थ्य से परे है। इसके साथ ही भारतीय अग्रणी प्रौद्योगिकी संस्थानों के पास प्रौद्योगिकी विकसित करने का सामर्थ्य है। इस योजना संघटक के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित करने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो इसका परिणाम आधुनिक उद्योग होगा। साथ ही उद्योग वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनेगा।

6.2 पात्र संस्थान: शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आईआईटी और सीएमटीआई जैसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र, उद्योग एकक/संघ/उद्योग के साथ अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए उन्नत उत्कृष्टता केन्द्र भी शामिल होंगे।

6.3 पात्र प्रौद्योगिकियां: 'केपिटल गुड्स एवं इंजीनियरिंग सेक्टर' के संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यदल की रिपोर्ट में पहचान की गई प्रौद्योगिकियां। शीर्ष समिति द्वारा जनहित में अन्य प्रौद्योगिकियों पर भी विचार किया जा सकते हैं।

6.4 वित्तपोषण पैटर्न: केन्द्रीय सहायता एकबारगी अनुबंध सहायता (न कि इक्विटी) के रूप में दी जाएगी जो आईआईटी और सीएमटीआई आदि में स्थापना के लिए प्रस्तावित प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र के लिए ₹ 100 करोड़ की अधिकतम सीमा की शर्त के अध्यक्षीन परियोजना लागत (संयंत्र एवं मशीनरी, मानव संसाधन और कंप्यूटर आदि सहित किन्तु वाहन, लैपटॉप/टेबलेट्स/बीडियो कैमरा, सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और ग्रीनरी, भूमि और भवन को छोड़कर) के अधिकतम 80% की सीमा तक होगी। शेष 20% निवेश उद्योग, आईआईटी और सीएमटीआई आदि द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। भूमि और भवन के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी।

6.5 भुगतान समय सारणी: अनुदान सहायता की मात्रा तथा समय-सारणी का निर्णय शीर्ष-समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यान्वयन योजना तथा परियोजना की तैयारी पर विचार करते हुए लिया जाएगा।

6.6 मैकेनिज्म: भारी उद्योग विभाग तथा अनुदान प्राप्तकर्ता तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे जिनमें भारी उद्योग विभाग के अनुदान की शर्तों एवं निबन्धनों जैसे कि भूमिका, आयोजना, पद्धति, कार्य-प्रणालियों, लक्ष्यों, आउटपुट्स, रिपोर्टिंग तथा परियोजना मूल्यांकन की मानिट्रिंग और ऐसी ही बातों का उल्लेख होगा।

7. मशीन टूल उद्योग के लिए एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएं

7.1 उद्देश्य: मशीन टूल सेक्टर को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन हेतु पारिस्थितिकी-तंत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस सेक्टर को लागत प्रभावी बनाने, हाई-टेक मशीन टूल, बड़ी हुई निर्यात क्षमता और अधिक निवेश आकर्षित करने की दिशा में मशीन टूल पार्क की स्थापना करना एक कदम होगा।

7.2 पात्र संस्थान: मशीन टूल पार्क का विकास करने हेतु स्थानीय उद्योगों द्वारा गठित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी), उद्योग संघ, वित्तीय संस्थान, केन्द्रीय/राज्य सरकार, अनुसंधान एवं विकास संस्थान आदि पात्र होंगे न कि लाभ कमाने वाली कंपनियों/समितियों/भारत में गठित न्यास।

7.3 पात्र साझे अवसंरचना सुविधाएं।

- सड़क, चारदीवारी, पुल, अंडरपास तथा प्रस्तावित एकीकृत औद्योगिक स्थान पर ही इस तरह का अन्य परिवहन अवसंरचना,
- जल संचयन और संरक्षण प्रणाली (हरित अभियांत्रिकी),
- ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए हरित प्रौद्योगिकी,
- सौर, जल/ज्वरीय/समुद्र और वायु ऊर्जा (जो स्वंत्र रूप से व्यवहार्य/बैंक-ग्राह्य परियोजनाएं नहीं हैं) का दोहन करने के लिए उपकरणों को स्थित करने के द्वारा हरित अभियांत्रिकी,

- साझा अपगामी उपचार संयंत्र,
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं/मलजल उपचार संयंत्र/मलजल प्रणाली,
- स्वतंत्र रूप से बैंक-ग्राह्य सुविधाओं अथवा वे सुविधाएं जो कहीं भी सरकारी सहायता के लिए शामिल हैं, को छोड़कर शीर्ष समिति द्वारा यथा अनुमोदित इस जैसी सुविधाएं।

7.4 निधियन पैटर्न: केन्द्रीय सहायता प्रत्येक एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं को अधिकतम ₹ 125 करोड़ की शर्त के अध्याधीन एकबारगी सहायता अनुदान (इक्विटी नहीं) के माध्यम से दी जाएगी जो परियोजना लागत (संयंत्र एवं मशीनरी, मानव संसाधन और कंप्यूटर आदि सहित, परन्तु बाहन, लैपटॉप/टेबलेट्स/वीडियो कैमरा, सड़कों, स्ट्रीट लाइटों और हरियाली, भूमि एवं भवन को छोड़कर) के 80% से अधिक नहीं होगी। शेष 20% विशेष प्रयोजन तंत्र द्वारा निवेश किया जाना अपेक्षित होगा। भूमि और भवन के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी।

7.5 ये सुविधाएं सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे वह उद्योग एसोसिएशन का सदस्य हो या नहीं। इन सुविधाओं का आबंटन और उपयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

8. बख्क मशीनरी तथा कैपिटल गुड्स उद्योग के अन्य सब-सेक्टरों के लिए इंजीनियरी सुविधा के साझा केन्द्र।

8.1 उद्देश्य: बख्क मशीनरी के लिए इंजीनियरी सुविधा के साझा केन्द्रों की स्थापना स्थानीय उद्योग और उद्योग एसोसिएशन की सक्रिय भागीदारी से की जानी प्रस्तावित है, जो बदले में उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं में सुधार लाएगी जो वृष्टिगोचर भी होंगी। इन स्थापनाओं के दायरे में इंजीनियरी की जो साझी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, वे हैं साझा फाउण्ड्री, साझा हीट ट्रीटमेंट, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डिजाइन केन्द्र, साझा रूप से प्रोटोटाइप बनाना, सामान्य और विशिष्ट मशीनरी आदि। इस सुविधा से बख्क मशीनरी और अन्य कैपिटल गुड्स बनिर्माणकर्ता बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैपिटल गुड्स विकसित करने में समर्थ बन सकेंगे।

8.2 पात्र संस्थान: साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थानीय उद्योगों द्वारा गठित विशेषोद्देश्य संस्थान, उद्योग संघ, वित्तीय संस्थान, केन्द्र/राज्य सरकार, अनुसंधान और विकास संस्थान आदि न की कंपनियों/सोसायटीयां/भारत में लाभ के लिए गठित ट्रस्ट।

8.3 पात्र सामान्य इंजीनियरी सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

- डिजाइन/प्रक्रिया/उत्पादविकास/पुनः इंजीनियरी/3डी प्रिंटिंग सुविधाओं सहित रैपिड प्रोटोटाइपिंग।
- गुणवत्ता और उत्पादकता इंजीनियरी सुविधाएं
- हरित इंजीनियरी/ऊर्जा प्रयोग न्यूनतमीकरण सुविधाएं/पर्यावरण प्रबंधन प्रौद्योगिकी सुविधाएं।
- कुल निवारक रखरखाव सुविधाएं
- औद्योगिक प्रदर्शनी सह उत्पाद प्रदर्शन केन्द्र/सामान्य कॉन्फ्रेंसिंग केन्द्र और वर्चुअल स्पेश में भी सामान्य कॉन्फ्रेंसिंग केन्द्र
- आईटी अनुप्रयोग और विकास केन्द्र
- आईपीआर सेवाएं, औद्योगिक प्रबंधन सेवाएं और उसकी सुविधाएं।
- सामान्य उत्पादन प्रक्रियाएं और सुविधाएं।
- उच्च प्रौद्योगिकी मशीनों पर आधारित हाई-टेक सामान्य मशीनिंग सुविधा (जिनमें किसी एक कंपनी द्वारा बहन नहीं किया जा सकता) जैसे:
 - आधुनिक फाउण्ड्री
 - हीट ट्रीटमेंट सुविधा
 - विशेषोद्देश्य फेब्रिकेशन/फोर्जिंग और वेल्डिंग सुविधा
 - अन्य इंजीनियरी प्रक्रियाएं
- आईपी संबंधी कार्यकलापों सहित तकनीकी सूचना केन्द्र
- प्रशिक्षण और कौशल अवसंरचना

8.4 विस्तारपोषण का प्रारूप: दो साझा इंजीनियरी केन्द्रों (एक केन्द्र को अधिकतम ₹ 30 करोड़) के लिए एक बारगी सहायता अनुदान (इक्विटी नहीं) के रूप में केन्द्रीय सहायता अधिकतम ₹ 48.96 करोड़ की शर्त के अधीन परियोजना लागत के 80% (संयंत्र और मशीनरी, मानव संसाधन तथा कंप्यूटर आदि इसमें शामिल हैं परन्तु इसमें बाहन,

लैपटॉप/टैबलेट /विडियो कैमरा, सड़क, गलियों में प्रकाश और हरियाली, भूमि और भवन शामिल नहीं) से अधिक नहीं होगी। शेष 20% विशेषोद्देश्य संस्थान द्वारा निवेश की जाएगी। भूमि और भवन के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी।

8.5 अनुदान इस शर्त के अधीन भी होगा कि अनुदान के तहत दी जाने वाली औद्योगिक प्लांटों/सुविधाओं/सेवाओं का आबंटन संघ (संघों) के गैर सदस्यों सहित सभी के लिए उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

9 परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र

9.1 उद्देश्य: अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र शीघ्र ही अनिवार्य बनाया जाएगा। फिलहाल अर्थ मूविंग मशीनरी के परीक्षण के लिए कोई परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। परीक्षण केन्द्र की स्थापना करने से, पुरानी और अप्रचलित मशीनरी के आयात को अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, केन्द्र की स्थापना से निष्पादन के मूल्यांकन, उत्पादन और खनन मशीनरी और उपकरण की सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के लिए सुविधा हो सकेगी।

9.2 परियोजना कार्यान्वयन: अर्थमूविंग मशीनरी के लिए परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र की स्थापना भारी उद्योग विभाग द्वारा सृजित विशिष्टोद्देश्य संस्थान द्वारा की जाएगी।

9.3 परीक्षण केन्द्र सुविधाएं: अर्थमूविंग मशीनरी के लिए समर्पित विकास से संबंधित सुरक्षा सहित परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- परीक्षण ट्रैक (टॉर्चर परीक्षण, डिगिंग, एफओपीएस, डंपर पर ब्रेक परीक्षण, ग्रेडेबिलिटी, ईंधन की खपत आदि)
- आईएसओ मानक के अनुसार आरओपीएसके लिए स्ट्रक्चरल बेंच
- हीट ट्रांसफर प्रयोगशाला, हार्डड्रॉलिक प्रयोगशाला, सामग्री प्रयोगशाला, वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला, आदि।
- अन्य सुरक्षा संबंधी प्रयोगशालाएं।

9.4 वित्तपोषण प्रारूप: अर्थमूविंग और एलाइड मशीनरी के लिए परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र के लिए संयंत्र और मशीनरी, मानव संसाधन तथा कंप्यूटर आदि सहित परियोजना लागत के शत-प्रतिशत वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय सहायता अधिकतम ₹ 100 करोड़ की शर्त के तहत एक बारगी सहायता अनुदान (इक्विटी नहीं) के रूप में दी जाएगी। भारी उद्योग विभाग द्वारा परियोजना लागत का शत-प्रतिशत वित्त पोषण व्यय वित्त समिति की भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत के अधिकतम 80% तक वित्त पोषण की सिफारिश के विपरीत है। भारी उद्योग विभाग ने परियोजना लागत के शत-प्रतिशत वित्तपोषण का प्रस्ताव इसलिए किया है कि परीक्षण सुविधा का उपयोग आईएसओ/आईएस प्रमाणपत्र पाने के लिए तीसरे पक्ष के प्रमाणन के लिए किया जाएगा जो विनिर्माण, अर्थमूविंग और खनन मशीनरी के लिए निकट भविष्य में अनिवार्य कर दिया जाएगा।

10 प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएफपी)

10.1 उद्देश्य: भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर व्यावहारिकता, गुणवत्ता और लाइफ-साइकल मूल्य के संबंध में आयातित वस्तुओं के साथ सममूल्य के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए गंभीर आवश्यकताओं का सामना कर रहा है। इसलिए, हमें संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और अधिग्रहण के माध्यम से त्वरित प्रौद्योगिकी उन्नयन के अवसरों की गंभीरता से तलाश करनी होगी। सरकार एक अनुकूल वातावरण देकर और उद्योग द्वारा आवश्यक भारी निवेश के जोखिम को हटा कर केपिटल गुड्स को प्रौद्योगिकी उन्नयन के उनके प्रयासों में सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चूंकि सभी प्रकार की प्रौद्योगिकियां अनुसंधान और विकास तथा शिक्षा और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों सहित प्रौद्योगिकी विकास उत्कृष्टता केन्द्रों जैसे आईआईटी/एनआईटी/प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और कालेज/विभागीय अनुसंधान और विकास इकाइयां और संस्थान द्वारा विकसित नहीं की जा सकती, इसलिए टीएफपी की आवश्यकता है। इस निधि से केपिटल गुड्स सेक्टर को अल्पावधि में ही वैश्विक मानकों और प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण और आत्मसातिकरण में सहायता मिल सकेगी।

- 10.2 **कार्यक्षेत्र :** टीएएफपी स्ट्रेटेजिक और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा संविदा रूट, इन-हाउस रूट के माध्यम से या संविदा और इन-हाउस के संयुक्त रूट के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भी केपिटल गुड्स उद्योग को सहायता देगी। इस निधि से बेहतर उत्पाद गुणवत्ता/ व्यावहारिकता, उत्पादन क्षमता, सुरक्षा और धारणीयता कार्यनिष्पादन को प्राप्त करने के लिए, उद्योग को अपने प्रौद्योगिकी स्तर के विस्तार के लिए आंशिक सहायता दी जा सकेगी। प्रौद्योगिकी की कमियों की पहचान "केपिटल गुड्स और इंजीनियरी सेक्टर" पर 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यदल की रिपोर्ट में पहले ही की जा चुकी है।
- 10.3 **क्षेत्र:** टीएएफपी में मशीनरी/मशीन कलपुर्जों सहित सभी औद्योगिक व्यवहार और केपिटल गुड्स सेक्टरों के तहत वर्गीकृत मशीनरी (जैसे इलेक्ट्रिकल, वस्त्र, प्रक्रिया संयंत्र, विद्युत उपकरण, विनिर्माण और अर्थमूविंग, मशीन टूल, खनिज आदि से संबंधित मशीनरी /उपकरण) शामिल होंगे। केपिटल गुड्स के उप सेक्टरों (जैसे, प्लास्टिक मशीनरी, मशीन टूल और वस्त्र मशीनरी आदि) के तहत उद्योग संघों द्वारा स्थापित किए गए या स्थापित किए जा सकने की योजना बनाए गए उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र भी टीएपी से सहायता के लिए पात्र होंगे।
- 10.4 **पात्रता:** टीएएफपी से वित्तीय सहायता भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर इकाई या उनके कंसोर्टियम के लिए उपलब्ध होगी। संभावित आवेदकों के पास सिद्ध तकनीकी, वित्तीय और विपणन पृष्ठभूमि होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी प्रदाता आवेदक की कंपनी में नियंत्रक अंश नहीं रखेगा, तथापि कुछ इंडिकेटों धारण किया जाना स्वीकार्य है।
- 10.5 **प्रयोज्यता:** टीएएफपी से वित्तीय सहायता केवल उन विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए दी जाएगी, जिनमें प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, अधिग्रहण और आत्मसातिकरण शामिल है। ऐसी परियोजनाओं की आवश्यकता और संभावित लाभों के औचित्य के लिए आवेदक उद्योग द्वारा एक विस्तृत "प्रौद्योगिकी कमी विश्लेषण" किया जाना आवश्यक है। वैकल्पिक रूप से प्रौद्योगिकियां "केपिटल गुड्स और इंजीनियरी सेक्टर" पर 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यदल की रिपोर्ट में चिह्नित कमियों से हो सकती हैं। प्राप्तकर्ता उद्योग/कंसोर्टियम को यह प्रदर्शित करने के लिए कि वित्तीय सहायता देने से अंततः प्रौद्योगिकी स्तर, उत्पाद मानक, गुणवत्ता, निष्पादन और प्रतिस्पर्धात्मकता में समयबद्ध रूप से सुधार होगा, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव और कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी। उपयुक्त सीमाओं के साथ, नीचे दिए गए विशिष्ट कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकेगी:-
- प्रौद्योगिकी/ ऊर्जा/ हरित/कुशलता उत्पादकता/ गुणवत्ता अंकेक्षण, मूल्यांकन/आकलन अध्ययन तथा अधिग्रहण हेतु सही प्रौद्योगिकी का चयन करने के उद्देश्य से तैयारी कार्यकलाप।
 - प्रौद्योगिकी स्वामियों से प्रौद्योगिकी/ तकनीकी जानकारी का पूर्ण विक्रय,
 - प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रौद्योगिकी स्वामियों/लाइसेंस धारकों को आईपीआर, पेटेंट शुल्क, डिजाइन शुल्क, इंजी., शुल्क, उत्पाद प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रमाणन भुगतान, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी भुगतान और अन्य भुगतान,
 - उत्पादन/परीक्षण सुविधाओं/अनुसंधान और विकास/ प्रौद्योगिकी विकास सुविधाओं का उन्नयन,
 - प्रोसेस और उत्पाद सुधार तथा उन्नयन के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद,
 - प्रोसेस और उत्पाद सुधार तथा उन्नयन के लिए के लिए जनशक्ति को हायर करना/प्रशिक्षण/शिक्षा,
 - अर्जित प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए कामगारों/ऑपरेटरों को प्रशिक्षण,
 - तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों की सदस्यता/ योगदान
 - संविदा अनुसंधान भुगतान,
 - संस्थानों को कंसोर्टियम प्रौद्योगिकी विकास योगदान
 - संस्थानों में परियोजना/ प्रौद्योगिकी विकास सुविधा/विद्वता/कार्मिक प्रायोजन
 - अनुसंधान और विकास, नवाचार, डीएण्डडी, प्रौद्योगिकी विकास, कौशल विकास और उच्चतर तकनीकी शिक्षा से संबंधित अन्य व्यय

4374 9/14-2

- केपिटल गुड्स सेक्टर में उद्योग संघों/क्लस्टरों द्वारा उत्पाद या प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना।
- 10.6 यह परिकल्पित है कि टीएफपी में राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, अवसंरचना, परिवहन, जल प्रबंधन, पर्यावरण और धारणीयता समाधान, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केपिटल गुड्स सेक्टर द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन चाहने वाली परियोजनाओं को वरीयता दी जाएगी परन्तु यह इन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होगी।
- 10.7 **वित्त पोषण प्रारूप:** प्रस्ताव है कि उपर्युक्त चिह्न अनुसार प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की लागत के पच्चीस प्रतिशत तक अनुदान के रूप में भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर इकाइयों या कंसोर्टियम को सहायता दी जाए। दी जाने वाली अधिक राशि ₹ 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी। सहायता इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त किए गए सरकारी अनुसंधान और विकास संस्थान के माध्यम से प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं तथा इस प्रकार आवेदन की गई प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता के मूल्यांकन के बाद दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त की गई तकनीकी समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर, जांच समिति जिसमें डीएसआईआर, उद्योग संघ, सीएमटीआई, भारी उद्योग विभाग के तकनीकी अधिकारी होंगे, अपेक्ष समिति को अनुमोदन के लिए और जांच कर सिफारिश करेगी।
- 10.8 अनुमोदन और पर्यवेक्षण: अनुदान देने के लिए विचार करते समय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की क्षमता और पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होगी। प्रोसेस करते समय, स्वतंत्र और प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इन्हें अनुदान की किशतों के लिए संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों पर आधारित प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी शामिल किया जाएगा। अंतिम किशत प्रतिपूर्ति के रूप में होगी।
- 10.9 सरकार का अधिकार: प्रत्येक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए, सरकार को प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रत्येक मामले में अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के बाद अन्य विनिर्माताओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का अधिकार होगा, यदि ऐसा करना आवश्यक है।
- 11 **प्रशासनिक व्यय दिशानिर्देश:** सीओएस/जीएफआर के अनुसार
- 12 **जी/जीएफआर/योजना विशेष के अनुसार सामान्य शर्तें:**
- 12.1 केन्द्र सरकार परियोजना के प्रबंधन के लिए जवाबदेह प्रशासनिक मंडल या अन्य किसी समकक्ष निकाय में अपने प्रतिनिधि के रूप में एक या अधिक अधिकारियों जो भारत सरकार के अवर सचिव स्तर से कम के नहीं होंगे, को नामित कर सकती है। प्रशासनिक बोर्ड की सभी बैठकों में ऐसे नामित अधिकारियों को आमंत्रित करना संबंधित इकाई की जिम्मेदारी होगी। एक भी सरकारी नामित के उपस्थित न होने या भारी उद्योग विभाग से पहले ही पुर्वानुमति प्राप्त न करने पर कोई वित्तीय निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। कार्योत्तर मंजूरी पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- 12.2 आवेदक भारत सरकार की लिखित अनुमति के बिना इस योजना के तहत दी गई सहायता का उपयोग करके सृजित की गई परिसंपत्तियों का निपटारा या लीज पर देना या इस संपत्ति पर कोई प्रभार आरोपित नहीं करेगा।
- 12.3 आवेदक भारी उद्योग विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना रूप या मूल चरित्र में बदलाव नहीं करेगा। परियोजना के उद्देश्यों को दर्शाते हुए सहायता दी गई परियोजना के चार्टर को भारी उद्योग विभाग की लिखित अनुमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकेगा।
- 12.4 इस योजना के तहत दी गई वित्तीय सहायता गैर आवर्ती और पूंजीगत प्रकृति की होगी। निधियां संस्थान के संकाय, स्टाफ या प्रशासकों के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए सीधे प्रयोग नहीं की जाएं। तथापि, सेवाएं केन्द्रों को प्रभारित की जा सकेंगी।
- 12.5 केन्द्र पृथक लेखांकन संस्थान, वरीयत: विधिक इकाई के रूप में सृजित किया जाएगा।
- 12.6 आवेदक के लेखाओं का प्रतिवर्ष लेखापरीक्षण किया जाएगा तथा वित्तीय सहायता मिलने के बाद कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए आवेदक को वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट भारी उद्योग विभाग को भेजनी होगी। योजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट की अवधि के दौरान विनिर्माण कार्यकलाप, मशीनरी/उपकरण की

प्राप्ति आदि का ब्यौरा शामिल होगा। वार्षिक रिपोर्टों में अंकक्षित लेखाओं के साथ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा होना चाहिए। रिपोर्ट में प्रशिक्षण ले रहे भागीदारों/प्रशिक्षुओं के ब्यौरे के साथ-साथ सफल उद्यमियों का विवरण भी होना चाहिए जिन्होंने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं।

- 12.7 आवेदक को अनुदान निधि का उपयोग करके प्राप्त किए गए उपकरण/परिसंपत्तियों का एक स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर भी भारी उद्योग विभाग द्वारा किसी भी समय सत्यापन के लिए रखना होगा।
- 12.8 दी गई समय-सीमा में स्वीकृत निधियों का उपयोग न कर पाने या इसका दुरुपयोग करने, गबन करने या उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्त का उल्लंघन करने पर, सरकार किसी विधिक और/या दाण्डिक कार्रवाई, जो वह आवश्यक समझे, करने के अतिरिक्त, ब्याज सहित संपूर्ण सहायता राशि को वसूल कर सकेगी। योजना पांच वर्षों के लिए होनी चाहिए। इसलिए, इसे 13वीं योजना के लिए भी बढ़ाया जाएगा। तथापि, सुविधाओं के स्थापना चरण के 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की संभावना है।
- 12.9 केन्द्र सरकार सहायता की मंजूरी/जारी करने से पूर्व ऐसी अन्य शर्तें भी निर्धारित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।
- 13 आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया
- 13.1 जांच समिति योजना के तहत प्रस्तावों को प्राप्त करने, अनुमोदन और पर्यवेक्षण के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम की योजना बनाने, डिजाइन करने और लागू करने का प्रयास करेगी।
- 13.2 इस योजना के तहत प्रस्तावित सुविधा के लिए डीपीआर सहित आवेदन पत्र (जांच समिति द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार) अवर सचिव (एचई एंड एमटी), भारी उद्योग विभाग को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 13.3 भारी उद्योग विभाग (एचई एंड एमटी) आवेदनों की पूर्णता की जांच एक माह में करके नीचे पैरा 13 के तहत गठित की गई जांच समिति को उसके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।
- 13.4 जांच समिति योजना के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और इसे कार्यसूची रूप में अपनी सिफारिशें शीर्ष समिति को एक माह में प्रस्तुत करेगी।
- 13.5 समिति निर्णय लेने से पूर्व आवेदकों के साथ परामर्श कर सकती है। आवेदक को समिति की सुविधानुसार शीर्ष समिति को अपने प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण देने का अवसर दिया जा सकता है।
- 13.6 इसके तुरंत बाद शीर्ष समिति का निर्णय सूचित कर दिया जाएगा।
- 13.7 धनराशि अनुमोदन में दर्शाई गई प्रारंभिक शर्तों के पूरा होने के बाद जारी करना प्रारंभ किया जाएगा।
- 13.8 विभाग का यह प्रयास होगा कि पूर्ण आवेदन मिलने से तीन माह में निर्णय की सूचना दे दी जाए।
- 13.9 अनुमोदन पत्र स्व व्याख्यात्मक तथा स्पष्ट होंगे। स्पष्ट शर्तों सहित मानक प्ररूप विकसित किए जाएंगे।
- 13.10 इनमें पर्यवेक्षण और बंदीकरण के लिए मापन योग्य लक्ष्य और स्पष्ट निर्देश होंगे।
- 13.11 आवेदक को अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक होगी जो इसके बाद आवेदक पर विधिक रूप से बाध्यकर होगी।
- 13.12 आवेदक के लिए बंदीकरण रिपोर्ट के साथ परियोजना की समाप्ति पर सरकारी अनुदान के प्रभाव और लाभों का तृतीय पक्ष विश्लेषण देना अनिवार्य होगा।

14 जांच समिति

- 14.1 जांच समिति का गठन नीचे दिए गए अनुसार होगा:

i.	संयुक्त सचिव (एचईएंडएमटी), भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष
ii.	आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
iii.	निदेशक, केंद्रीय विनिर्माण प्रोद्योगिकी संस्थान अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
iv.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के नामिती	सदस्य

v.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नामिती	सदस्य
vi.	निदेशक (आईएफडब्ल्यू - भारी उद्योग विभाग)	सदस्य
vii.	निदेशक (एचईएण्डएमटी - भारी उद्योग विभाग)	सदस्य
viii.	आवश्यक समझे जाने पर अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नामिती	सदस्य
ix.	प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (तीन)	सदस्य और;
x.	औद्योगिक सलाहकार (एचईएण्डएमटी)	सदस्य सचिव

14.2 समिति अपने प्रचालन के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाएगी।

14.3 समिति किसी एक या सभी प्रस्तावों को मूल्यांकन और मानीटरिंग के लिए आउटसोर्स कर सकेगी। तथापि, समिति को शीर्ष समिति को अपनी सिफारिशें निर्धारित समयसीमा में भेजनी होंगी।

14.4 समिति सचिव (भारी उद्योग) को दी गई शक्तियों के तहत आवश्यकता के आधार पर विशेषज्ञों को सहयोजित/आमंत्रित/ कर सकेगी।

14.5 यदि आवश्यक समझे, तो समिति भारी उद्योग विभाग और/या अन्य स्थान पर आवेदक से मिल सकेगी।

15 शीर्ष समिति का गठन

15.1 शीर्ष समिति का गठन नीचे दिए गए अनुसार होगा:

i.	सचिव (भारी उद्योग), भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष
ii.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
• iii.	केपिटल गुड्स सेक्टर से प्रतिष्ठित उद्योगपति (वृहद से दो और एमएमई सेक्टर से दो)	सदस्य
iv.	सलाहकार (उद्योग), योजना आयोग	सदस्य
v.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
vi.	माध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय से कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) से कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीपी) से कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
x.	महा निदेशक (भारतीय मानक ब्यूरो)	सदस्य
xi.	महा निदेशक (खान और सुरक्षा)	सदस्य
xii.	महा निदेशक (सीआईआई)	सदस्य
xiii.	महा निदेशक (एफआईसीआईआई)	सदस्य
xiv.	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	सदस्य
xv.	अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मिडवी)	सदस्य
xvi.	आवश्यक समझे जाने पर अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नामिती	सदस्य
xvii.	निदेशक, केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	सदस्य और;
xviii.	संयुक्त सचिव (एचईएण्डएमटी), भारी उद्योग विभाग	सदस्य सचिव

15.2 शीर्ष समिति आवश्यकता के आधार पर पेशवरों को सहयोजित और/ या आमंत्रित कर सकेगी।

- 15.3 शीर्ष समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी और पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से चार माह में अपना निर्णय देने का प्रयास करेगी।
- 16 योजना/परियोजना मानीटरिंग और मूल्यांकन
- 16.1 जांच समिति वरीयतः ऑनलाइन टूलों का प्रयोग करते हुए योजना की प्रगति का नियमित रूप से मानीटरिंग करेगी।
- 16.2 आवेदक जांच समिति को निर्धारित प्रपत्र में तिमाही प्रगति/बंदीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो जांच समिति द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार प्रगति को सत्यापित और सुनिश्चित करेगी।
- 16.3 जांच समिति एक या एक से अधिक अनुमोदनों की मानीटरिंग को आउटसोर्स कर सकेगी।
- 16.4 जांच समिति इन कार्यों में विषय विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकती है।
- 16.5 सभी अनुमोदनों की तिमाही प्रगति शीर्ष समिति को उनके दिशा-निर्देश के लिए प्रेषित की जाएगी।
- 16.6 योजना के अंत में एक स्वतंत्र एजेन्सी योजना के संपूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

No. 7/6/2011-HE&MT.— Scheme on “Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector”

I. INTRODUCTION

- 1.1. The Indian Capital Goods sector is strategic to manufacturing value chain. Technology levels of CG sector determine process technologies used in the Indian manufacturing, thus its global competitiveness to a large extent. India is at threshold, wherein, if supported the Indian Capital Goods industry go global soon, or else India will continue to become increasing World dumping ground for second hand machines and largest importer of machines and components.
- 1.2. The sector consists of about 25 types of different machines. Seven prominent sub sectors are:-
- (i) Machine Tools, tools, toolings, dies and moulds.
 - (ii) Textile Machinery (including Jute machinery)
 - (iii) Heavy Electrical Equipment
 - (iv) Mining & Construction Equipment
 - (v) Plastics Machinery
 - (vi) Metallurgical Equipment
 - (vii) Process Plant Equipment
- 1.3. At present the prominent sub -sectors have a demand of Rs. 2,90,000 crore, out of which domestic production is Rs. 1,85,000 crore, exports are Rs. 46,000 crore. However, the imports are Rs.1,51,000 crore. The sector directly employs 1.4 million skilled industrial workers and officers.
- 1.4. The Department of Heavy Industry promotes the development of Capital Goods Sector in the country with the objective of creating vibrant and technologically advanced manufacturing in India. .
- 1.5. The Prime Minister’s Group in its Report (PMGR) identified capital goods as one of the sectors that is strategic for strengthening national capabilities for the long term. The PMGR has recommended that a time-bound action plan should be prepared in each of these areas for building high class modern capacities with R&D facilities, appropriate programme to encourage growth and development of these areas in the private sector together with Industry strengthening of the existing public sector and revisiting the existing policies to protect and promote selected capital goods industries.
- 1.6. Industry has been demanding modernization of the Capital Goods sector at all fora for past five years. Indian Capital Goods Sector presented a comprehensive study of the sector few years back. The study brought out the need for modernization.
- 1.7. DHI, in association with Indian Capital Goods Sector, had conducted a study to develop a road map and scheme for modernization of the capital goods sector.
- 1.8. The Working Group formed under the aegis of the Planning Commission on the sector also recommended the modernization needs of the Industry. The 12th Five Year Plan (FYP) document also attached significance to the capital Goods sector as strategic sector.

2. THE MAJOR CONSTRAINTS, THEIR IMPACT ON THE INDUSTRY & PROPOSED MITIGATIONS STEPS:

2.1 Technology & Knowledge Constraints

- i. Lack of Technology upgradation & Modernization – The current level of technology is obsolete. The large firms are able to modernize to some extent, but are dependent on vendors for supply of components and intermediates.
- ii. Lack of Cutting Edge Technology and Research & Development Support – Without institutional R & D support, Capital Goods units are unable to develop and adopt cutting edge technologies. This erodes their global competitiveness.
- iii. Lack of Skilled Manpower – Industry also lacks HRD policies which will lure the best talent. For example: BHEL recruits B. Tech, M Tech and Ph Ds at the same level. Thus there is no incentive, career and compensation package for scholars to acquire higher qualifications and skills. The best of the talent goes to other sectors which pay well like Sales & marketing of white goods, cosmetics and consumables. National talent is, therefore, mis-utilized. On the other hand, Indian Capital Goods Sector suffers from lost opportunities and difficulties in survival, because its own knowledge development capabilities are very limited. A good example of directing higher talent to jobs needing higher skills and knowledge is the Indian Medical Education Sector. The Post Graduates and Ph.D level students are given the salary of same grade but Ph. D level students are employed at higher levels, thus providing career, incentive and proper salary packages to such higher talent. The Medical sector, therefore, is immensely benefited and Medical skill –wise, at the global level. Indian Capital Goods Sector have to recognize the problem and implement similar models including a separate R & D / Technology cadre in their own organizations.
- iv. Industry Disconnect with Technical Institutions—This leads to quality of institutional output not being what is needed by the industry in sectors like R & D, design, product development, technology development & modernization, manufacturing processes etc. There is a need to create platforms in the Institutions as well as in the Industry to inter-connect.

2.2 Policy Constraints

- v. Imports cheaper and easier: Import of Capital Goods is easier and less expensive. Open trade policy including for second hand CG has turned India into second largest importer of Capital Goods after China. Imports are cheaper due to zero duties under FTA or special provisions and additional statutory duties like sales tax, entry tax, octroi, VAT and other local duties levied on domestic manufacturing of Capital Goods. This hinders capacity utilization, modernization, investments and growth. The Department has already taken up effective steps for Policy corrections.

2.3 Industrial Infrastructure and Other inputs Constraints:

- vi. Capacity constraints due to lack of new investments: Capital goods industries are capital intensive and also have a long gestation period; besides, creation of new capacities requires land and infrastructure. For these reasons, creation of new capacity has been slow, and this has further encouraged increased imports of capital goods. Bringing new investments for capacity enhancement is a priority for the CG sector.
- vii. Infrastructure constraints in terms of unreliable power and its high cost, port congestion and high turnaround time, high cost of fuel and poor road connectivity of ports/ airports with hinterland leading to higher transportation cost and high cost of money adversely impact global competitiveness.

2.4 The above situation has resulted in India becoming largest market for import of capital Goods in the World, while domestic capacity after upgradation can produce the same.

2.5 Without the scheme, the imports will continue to increase and adversely affect the indigenous capital goods industry and user industries in terms of closure of units, loss of employment, loss of investment and affecting the social fabric of the country.

2.6 The scheme will encourage investment in technology upgradation, skill development and augmentation of modern manufacturing capacities for holistic growth of the industry. The technology upgradation of the SMEs will enable the large firms to get adequate support from small vendors in execution of large orders expeditiously.

2.7 The scheme proposes to mitigate the impact of the some constraints and to enhance the competitiveness of the capital goods industry enabling it to withstand the import penetration and increased exports. The scheme will offset the global disadvantages to a large extent. Most importantly, the scheme envisages actions in synchronization with 12th FYP for rejuvenating growth in manufacturing sector.

2.8 The proposed scheme envisages Government investment of Rs 581.22 crore during 12th FYP most of which is proposed to create permanent technical services & common facility centers.

3. OBJECTIVE

3.1 The objective of the "Scheme for Enhancement of Competitiveness of the Capital Goods Sector" intended to boost the Indian economy, as this scheme upon implementation would attempt to make the Indian Capital Goods Sector globally competitive by addressing the issues of technological depth creation in the capital goods sector besides creating common industrial facility centres.

4. **SCOPE OF THE SCHEME ON "ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE INDIAN CAPITAL GOODS SECTOR" FOR ASSISTANCE TO TECHNOLOGY DEVELOPMENT/ ACQUISITION AND SERVICES INFRASTRUCTURE**

- 4.1 The Scheme envisages financial assistance to new and existing institutions for setting up and strengthening the technology development and common manufacturing / services infrastructure.
- 4.2 The overarching objective is to make the domestic Capital Goods Sector globally competitive.
- 4.3 The present structure of the Indian Capital Goods sector started to take shape in the hands of private techno-entrepreneurs after liberalization of 1991. However, size of the units being small, they could not keep pace with the technology modernization.
- 4.4 National priorities with sectors like textiles, highways, steel, fertilizers, etc. and external trade relations resulted in a regime of free and cheap imports of capital goods.
- 4.5 This blocked modernization, capacity addition and new investment & technology induction of Capital Goods Sector.
- 4.6 India became the world's top market for Capital Goods with unique feature of access to second hand capital goods.
- 4.7 Manufacturers of Capital Goods elsewhere preferred export to India being more profitable, rather than making investments in India. They did not transfer their technologies to India. Import of Second hand capital goods in India made the situation more difficult for Indian manufacturers of Capital Goods.
- 4.8 Facing similar situation of technology denial by EU, USA and Japan, few years back China, Taiwan and South Korea embarked upon huge national programmes for machine building based on creation of local technology development capabilities. They started with localization of machine and component manufacture. Then they upgraded to development of own technology and products. Today they are major exporters of Capital Goods.
- 4.9 The proposal is the first step and is in coordination with objectives of the National Manufacturing Plan to increase "depth in manufacturing through innovation and development of technology".
- 4.10 These Product and Technology Development Centres (PTDCs) can be created in a number of ways e.g through establishing Advanced Centres of Excellences for integrated technology development for identified Sub-sectors in places such as IITs/ NITs and similar Institutions, alone or in consortium with user industry and other Technology Institutions abroad such as Fraunhofer Institutes of Germany, University of Aachen, Tokyo University, MIT etc. These Centres will develop technologies through:-

- In consortium with users / industry, other stakeholders and knowledge providers,
- Sponsored projects in India and abroad (part),
- Contractual R & D and Technology Deployment,
- Purchase or licensing of IPR/ technology for further development/ indigenization,
- Hiring or contracting experts from industry in the Centres at the institutes,
- Sponsored scholars / Students projects,
- Technology problem solving for SMEs,
- Providing Technical Consultancy to a unit or group of units,
- International or bilateral technology development,
- Other methods considered by the Joint Steering Mechanisms.

It is expected that a number of technology gaps would be filled using indigenous efforts for technology development, particularly in the field where India has restricted approach to technology transfer.

Further guidelines are at Para 5 onwards.

- 4.11 The second type of facilities is Common Industrial Facilities that includes Integrated Industrial Infrastructure Centre (IIIC), Common Engineering Facility Centres (CEFC) & Test & Certification Centre for Earthmoving (Construction & Mining) Machinery.
- 4.11.1 **Integrated Industrial Infrastructure Centre (IIIC):** In order to make the machine tool sector more competitive, it is necessary to provide an ecosystem for production. Establishment of Machine Tool Park will be a step forward in making the sector cost effective, hi-tech machine tools, enhanced export capability and attracting more investment.

One or more Mother Machinery unit to play the role of anchor promoter and invite all its critical vendors to set up units in the Park. All Vendors coming together to promote a Park and act as sourcing hub for Mother Machinery units within proximity. This concept could help Mother Machinery units to reduce lead time for components, closely supervise quality of components produced by their vendors, assist them in standardization of manufacturing processes, reduce assembly time, improve productivity and thereby become cost effective and competitive. The proposed intervention would ensure the cohesiveness and agglomeration of the units would enable them to overcome their constraint of minimum economic size and participate in the usage of the common facilities.

4374 4/14-4

4.11.2 Common Engineering Facility Centres (CEFC): Capital Goods sector in general and especially the key segments under consideration do not have major testing & quality control, and other common hi-tech machining and other service related facilities. Lack of such facilities has been adversely affecting the competitiveness of the industry.

Common Engineering Facility Centre that can be provided within such set ups are common foundry & heat-treatment, testing laboratories, designing facility, common prototyping, general and specific machining, etc. The facility would enable capital goods machinery manufacturers to develop capital goods to meet the large requirements of the country.

4.11.3 Test & Certification Centre: Testing & Certification Centre of Earth Moving (Construction & Mining) machineries is soon to be made mandatory. At present there is no test facility to test earthmoving machinery. By setting up of test centre, the import of second hand and outdated machinery could be restricted through mandatory testing & certification. In addition, the Centre would facilitate evaluating the performance, statutory and regulatory requirements of earthmoving machinery.

The proposed Test Centre is proposed to be implemented by setting up of advanced laboratories such as structural bench, heat transfer lab, hydraulics lab, materials lab, virtual reality lab as well as the test tracks exclusively for Earthmoving machinery to meet the first phase of the requirements. In the second & third phases, endurance testing for structures, engine emission & durability lab, driveline & transmission testing, hydraulics lab, chassis dynamometer, vibration testing lab, EMC test chamber, advanced electronics & robotics lab and other labs shall be set up in 13th FYP.

Further guidelines are given at Para 5 onwards

4.12 Technology Acquisition Fund Programme (TAFP) for Indian Capital Goods Sector is an industry driven initiative. Under this individual industry and/or consortium will be supported to develop targeted technology. To motivate the technology Transfer / acquisition in the capital goods sector they will be given one time grant through Government R&D Institutions. This tool is well targeted towards the technologies which are available for R & D / transfer / licensing/ acquisition / IPR exploitation.

Component Specific Guidelines are in the following Paragraphs.

5 COMPONENT SPECIFIC GUIDELINES UNDER THE SCHEME ON "ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE INDIAN CAPITAL GOODS SECTOR"

5.1 The scheme has following components, whose guidelines are indicated in the following Paras:—

Component	
1.	Advanced Centres of Excellence for R & D and Technology Development with National Centres of Excellence in Education and Technology such as Indian Institute of Technology Delhi (IITD), Indian Institute of Technology Bombay (IITB), Indian Institute of Technology Madras (IITM), Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kgp) and Central Manufacturing Technology Institute (CMTI), Bangalore.
2.	Integrated Industrial Infrastructure Facilities
3.	Common Engineering Facility Centres Test & Certification Centre
4.	Technology Acquisition Fund Programme

6. R & D AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRES OF EXCELLENCE WITH NATIONAL CENTRES OF EXCELLENCE IN EDUCATION AND TECHNOLOGY such as Indian Institute of Technology, Delhi (IITD), Indian Institute of Technology, Bombay (IITB), Indian Institute of Technology, Madras (IITM), Indian Institute of Technology, Kharagpur (IIT KGP) and Central Manufacturing Technology Institute (CMTI), Bangalore.

- 6.1 Objective: The Indian Capital Goods sector is losing out due to old technologies. The technology gaps have identified in the 12th FYP Working Group Report on "Capital Goods and Engineering Sector". The Report recommends Government support for fulfilling these technology gaps, as the same is beyond the capabilities of the local manufacturers. At the same time Indian premier technology institutions have the technology development capabilities. By virtue of this scheme component, technology development is proposed to be incentivised and motivated. If done, it will result in modern industry. In time the industry will grow to become globally competitive.
- 6.2 Eligible institutions: R & D and Technology Development Centres of Excellence with National Centres of Excellence in Education and Technology such as IITs and CMTI, Industry units / consortiums/ industry will also join.
- 6.3 Eligible Technologies: Those identified in the 12 FYP indicated in the "Working Group on Capital Goods & Engineering Sector". Other technologies in Public Interest could also be considered by the Apex Committee.
- 6.4 Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) not exceeding 80% of the project cost (including plant and machinery, human resources & computers, etc., but not vehicles, laptops/tablets/ video camera, roads, street lights & greenery, land and building) subject to maximum of Rs 100 crore for each Centre of Excellence proposed to be set up at IITs and CMTI, etc. Balance 20% will be required to be invested by the Industry and IITs and CMTI, etc. No Government assistance will be given for land and building.

6.5 Payment Schedule: The quantum and timelines of payment of Grant-in-Aid shall be decided by the Apex Committee considering the implementation plan proposed and the readiness of the project.

6.6 Mechanism: DHI and the grantee will sign an MoU specifying Terms & Conditions of the DHI grants e.g. roles, plan, methodology, working procedures, milestones, outputs, reporting, monitoring, end project evaluation and like.

7 INTEGRATED INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR MACHINE TOOL INDUSTRY

7.1 Objectives: In order to make the machine tool sector more competitive, it is necessary to provide an ecosystem for production. Establishment of Machine Tool Park will be a step forward in making the sector cost effective, hi-tech machine tools, enhanced export capability and attracting more investment.

7.2 Eligible Institutions: Special Purpose Vehicle (SPV) formed by the local industries, Industry Associations, Financial Institutions, Central / State Government, R & D Institution, etc. for development of the Machine Tool Park as not for profit companies / societies / trusts formed in India.

7.3 Eligible Common Infrastructure Facilities:

- Road, boundary walls, bridges, under passes and such other transport infrastructure within the proposed Integrated Industrial Space,
- Water Harvesting and preservation system (green engineering),
- Green technology for sound, water and air pollution management,
- Green engineering by setting equipments for harnessing solar, water/ tidal/ sea and air energy (which are not independently viable / bankable projects) ,
- Common Effluent Treatment Plant,
- Solid Waste Management Facilities / Sewage Treatment plants / Sewage system,
- Similar facilities as approved by the Apex Committee except those which are independently bankable or covered for Government support elsewhere.

7.4 Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) not exceeding 80% of the project cost (including Plant and Machinery, human resources & computers, etc., but not vehicles, laptops/ tablets/ video camera, roads, street lights & greenery, land and building) subject to maximum of Rs. 125 crore for each Integrated Industrial Infrastructure Facilities. Balance 20% will be required to be invested by the Special Purpose Vehicle. No Government assistance will be given for land and building.

7.5 The facilities will be made available to all, whether a member of the Industry association or not. The allocation and use of the facilities will be in a fair and transparent manner.

8. COMMON ENGINEERING FACILITY CENTRES FOR TEXTILE MACHINERY AND OTHER SUB-SECTORS OF CAPITAL GOODS INDUSTRY

8.1 Objectives: Common Engineering Facility Centre for Textile Machinery is proposed to be set up in active participation of the local industry and the Industry Association, which in turn would improve facilitation to the users along with visibility. The Common Engineering Facility that can be provided within such set ups are common foundry, common heat treatment, testing laboratories, design center, common prototyping, general and specific machinery, etc. The facility would enable textile machinery and other capital goods manufacturers to develop capital goods to meet the large requirements.

8.2 Eligible Institutions: Special Purpose Vehicle (SPV) formed by the local industries, Industry Associations, Financial Institutions, Central/State Government, R&D Institution, etc. for setting up of Common Engineering Facility Centre as not for profit companies /societies / trusts formed in India.

8.3 Eligible Common Engineering Facilities are

- Design/ Process/ Product development / Re-engineering/ Rapid Prototyping including 3 D printing facilities,
- Quality and productivity engineering facilities,
- Green engineering/ Energy use minimization facilities/ Environment management technology facilities,
- Total Preventive Maintenance facilities,
- Industrial exhibition cum products display centers/ Common Conferencing Centers also in virtual space,
- IT Application and development centre,
- IPR Services, Industrial Management Services and facilities thereof,
- Common Production Processes and facilities,
- Common Machining facility for hi-tech parts based on high technology machines (which could not be affordable to individual company) such as
 - ◆ Modern Foundry
 - ◆ Heat Treatment facility
 - ◆ Special purpose fabrication / forging & welding facility
 - ◆ Other Engineering processes,

➤ Technical Information Centre including Intellectual Property related activities.

➤ Training and skill infrastructure.

8.4 Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) not exceeding 80% of the project cost (including Plant and Machinery, human resources & computers, etc., but not vehicles, laptops/ tablets/ video camera, roads, street lights & greenery, land and building) subject to maximum of Rs. 48.96 crore for two Common Engineering Facility Centres (Rs. 30 crore maximum in one case). Balance 20% will be required to be invested by the Special Purpose Vehicle. No Government assistance will be given for land and building.

8.5 The grant will also be subject to the condition that allotment of industrial plots/ facilities/ services being provided under the grant will be done in a fair and transparent manner to all including non-members of the Association/s.

9. TEST & CERTIFICATION CENTRE

a. Objectives: Testing & Certification Centre of Earth Moving machineries is soon to be made mandatory. At present there is no test facility to test earthmoving machinery. By setting up of test centre, the import of second hand and outdated machinery could be restricted through mandatory testing & certification. In addition, the Centre would facilitate evaluating the performance, statutory and regulatory requirements of construction & mining machinery & equipment.

b. Project Implementation: The setting up of Test and Certification Centre for Earthmoving Machinery will be done by the Special Purpose Vehicle (SPV) specifically created by the Department of Heavy Industry.

c. Test Centre Facilities: Testing and certification facilities including safety related development dedicated for Earthmoving Machinery will be set up. The Laboratories include.

➤ Test Track (Torture Test, digging, FOPS, Brake test on dumper, gradeability, Fuel consumption etc.)

➤ Structural Bench for ROPS as per ISO Standard

➤ Heat Transfer Lab, Hydraulics Lab, Materials Lab, Virtual Reality Lab, etc.

➤ Other Safety related Labs.

d. Funding Pattern: Central assistance will be by way of one time grant-in-aid (not equity) subject to maximum of Rs. 100 crore financing 100% of the project cost including Plant and Machinery, human resources & computers, land & building, etc., for Test & Certification Centre for Earthmoving & allied Machinery. DHI funding of 100% of the project cost is in opposition to the Expenditure Finance Committee recommendation of maximum GoI funding of 80% of the project cost. The DHI proposes to finance 100% of the project cost because the testing facility will be used for 3rd party certification for the ISO/ IS certification which will become mandatory for construction, earthmoving and mining machinery industry in near future.

10. TECHNOLOGY ACQUISITION FUND PROGRAMME (TAFP)

a. Objective: Indian Capital Goods Sector is facing urgent needs for technology upgradation to be at par with imported goods in terms of functionality, quality and life-cycle value. Therefore, we need to seriously explore the opportunities for accelerated technology upgradation through appropriate technology assessment and acquisition in relevant areas. The Government can play a key role to support the Capital Goods Sector in its efforts towards technology upgradation, by providing an enabling environment and de-risking the heavy investments necessary by the industries. Since all technologies cannot be developed through R & D and Technology Development Centres of Excellence with National Centres of Excellence in Education and Technology such as IITs/ NITs/ Recognized Universities & Colleges/ Departmental R & D units and Institutions, TAFP has been necessitated. The Fund can help Capital Goods Industry to acquire and assimilate specific technologies, for achieving global standards and competitiveness within a short period of time.

b. Scope: The TAFP will provide financial assistance to Indian Capital Goods Industry to facilitate acquisition of strategic and relevant technologies and also development of technologies through contract route, in-house route or through joint route of contract and in-house. The Fund can extend partial support to industry to enhance their technology level, for achieving superior product quality / functionality, production capacity, safety and sustainability performance. The Technology gaps have already been identified in the 12th FYP Working Group report on "Capital Goods and Engineering Sector".

c. Coverage: The TAFP will cover all industries dealing with machinery/machine components and categorized under Capital Goods Sectors (e.g., Machinery/Equipment relating to Electrical, Textiles, Process Plant, Power Equipment, Construction & Earthmoving, Machine Tools, Metallurgy etc.). Product & Technology Development Centers, set up or planned to be set up by Industry Associations under specific sub-sectors of Capital Goods (e.g., Plastics Machinery, Machine Tools, and Textile Machinery etc.), will also qualify for assistance from TAFP.

- d. **Eligibility:** Financial support from the TAFP will be available to Indian Capital Goods Sector unit or their consortium. The prospective applicants should have proven technical, financial and marketing background. Technology provider must not hold controlling stake in applicant's company, however small equity holding may be acceptable.
- e. **Applicability:** Financial assistance from the TAFP will be extended only to specific projects and activities, which involve technology assessment, acquisition and assimilation. A comprehensive "Technology Gap Analysis" is required to be performed by the applicant Industry to justify the need for such projects and the expected benefits. Alternatively the Technologies could be from the gaps identified in the Planning Commission Working Group Report for the 12th FYP for the Indian Capital Goods Sector. The recipient Industry/consortium will need to submit detailed project proposal and action plan to demonstrate that the financial support will ultimately lead to enhancement of technology level, product standard, quality, performance and competitiveness in a time-bound manner. Funding for the following typical activities can be provided, with appropriate limits:
- Technology/ Energy/ Green/ Efficiency/ Productivity/ Quality Audit, Evaluation / Assessment Studies and preparatory activities with objective of selecting the right technology for acquisition,
 - Outright purchase of Technology / Know-how from Technology Owners,
 - IPR, Patent fees, Design fees, Engineering fees, Product Technology Evaluation & certification payments, Royalty, know how payment and other payments to Technology Owners/ licensors towards technology acquisition,
 - Upgradation of production / testing facilities/ R & D / technology development facilities,
 - Purchase of hardware / software for process & product improvement and up gradation,
 - Hiring/ training/ education of Manpower for process & product improvement and upgradation,
 - Training of workers / operators for skill building in acquired technology,
 - Membership/ contribution to Institutions providing Technical services,
 - Contract research payments,
 - Consortium technology development contributions to institutions,
 - Project/ technology development / Faculty / Scholar / employees sponsorship in institutions,
 - Other expenditures related to R & D, Innovation, Designs& Drawings, Technology Development, skill development and higher technical education;
 - Setting up of Product or Technology Development Centres by Industry Associations / Clusters within Capital Goods Sector
- f. It is envisaged that the TAFP will accord priority to projects that seek technology upgradation by Capital Goods Sector to cater to areas of national interest, e.g., Energy, Infrastructure, Transportation, Water Management, Environment and Sustainability Solutions, but need not be limited to these areas.
- g. **Funding Pattern:** It is proposed to provide to Indian Capital Goods sector units or consortiums by way of grant up to 25% of the cost of Technology Acquisition of each technology as defined above. Maximum amount to be given shall not exceed Rupees Ten crore. The support will be given through the Government R&D Institution specifically appointed for this purpose after the examination of the technology requirements and capability to absorb & adopt the technology so applied for. Based on the recommendation by the Technical Committee, specifically appointed for this purpose, consisting of representatives from Department of Scientific and Industrial Research, Industry Association, CMTI, Technical Officers of DHI to Screening Committee would further examine and recommend to the Apex Committee for approval.
- h. **Approval and Monitoring:** Capability and background of technology providers will be important, while considering grants. While processing, independent & prominent subject experts will be involved. They will also be involved in monitoring progress based on specified milestones linked to grant instalments. The last instalment will be in form of re-imburement.
- i. **Right to Government:** For each technology transfer approval, the Government shall have every right to transfer the technology to other manufacturers, if it is required, after two years of the approval in the case of the technology transfer under Technology Acquisition Fund Programme.
11. **ADMINISTRATIVE EXPENSES GUIDELINES:** As per GOs/ GFR.
12. **GENERAL CONDITIONS AS PER GO/ GFR/ SCHEME SPECIFIC:**
- 12.1 Central government may nominate one or more officer/s, not below the rank of Under Secretary of Govt of India, as its representative on the Board of Administration or any other equivalent body, responsible for the managing the project. It would be the responsibility of the concerned entity to invite such nominated officer to all meetings of the Board of Administration (or equivalent). No financial

decisions can be taken unless atleast one Government nominee is present or prior consent of DHI has already been obtained. Post facto consents will not be considered at all.

- 12.2 The applicant shall not dispose of or lease out or create any charge over the assets created by utilizing the assistance provided under this scheme, without written permission from the DHI.
- 12.3 The applicant shall not change the form or the basic character, without prior approval of DHI. The charter of the assisted project indicating its objects shall not be amended without written permission of the DHI.
- 12.4 The financial assistance provided under this scheme would be of non-recurring and capital nature. Funds may not be used directly to pay salaries and allowances etc. for the institute's faculty, staff or administrators. However, services may be charged to the Centres.
- 12.5 The Centre may be created as separate accounting preferably legal entity.
- 12.6 The accounts of the applicant shall be audited every year and the applicant shall be required to submit annual report along with financial statement to the DHI, at least for a period of five years after receipt of the financial assistance. The annual reports on implementation of the scheme would include the details of construction activity, procurement of machinery/ equipment etc. during the period under report. The annual reports must contain details of the activities undertaken by the Institute during the period under report, along with the audited accounts. The report would also include the details of participants/ trainees undergoing training, as well as the details of successful entrepreneurs who have set up their enterprises.
- 12.7 The applicant shall be required to maintain a fixed assets register of equipments/assets procured by utilizing grant funds for verification by DHI at any time.
- 12.8 In case of failure to utilize the sanctioned funds within time or its misuse, misappropriation or diversion or violation of any one or more of the conditions mentioned above, the Government will be entitled to recover the entire assistance amount with interest, in addition to taking such other legal and/or penal action, as deemed necessary. There is a need to have the scheme for five years. Hence, it would roll over to the 13th Plan as well. However, the establishment phase of the facilities is expected to be completed during the 12th Five Year Plan.
- 12.9 Central Government may also prescribe such other conditions, as deemed necessary, before sanction/release of assistance.

13. APPLICATION AND APPROVAL PROCEDURE

- 13.1 The Screening Committee will endeavour to plan, design and implement an online system to receive process, approve and monitor the proposals under the scheme.
- 13.2 The applications in the form (as prescribed by the Screening Committee) along with DPR for the facility proposed under the scheme shall be submitted to the Under Secretary (HE&MT) in DHI.
- 13.3 DHI (HE&MT) shall process the applications within one month for their completeness and submit them to the Screening Committee set up under paragraph 13 below, for consideration.
- 13.4 The Screening Committee shall examine all the proposals received under the scheme and submit its recommendations within a month to the Apex Committee in agenda form.
- 13.5 The Committee may choose to hold consultations with the applicants, before coming to a decision. The applicant may be given chance to make presentation of his proposal to the Apex Committee subject to its convenience.
- 13.6 The decision of the Apex Committee shall be conveyed soon after.
- 13.7 The release will start after completing the initial conditions specified in the approval.
- 13.8 It will be the endeavour of the Department to communicate the decision within three months from receiving the completed application.
- 13.9 Approval letters will be self contained and explicit. Standard formats with elaborate Terms & Conditions may be developed.
- 13.10 They will contain measurable milestones and clear instructions for monitoring and closure.
- 13.11 The Applicant will be required to express its acceptance, which will be legally binding on it thereafter.
- 13.12 The applicant will be obliged to provide third party analysis of impact and benefit of Government grants at the end of the project with the closure report.

14. SCREENING COMMITTEE

- 14.1 The composition of the Screening Committee will be as under :

i.	Joint Secretary (HE&MT), DHI	- Chairman;
ii.	Economic Adviser, DHI	- Member;
iii.	Director, Central Manufacturing Technology Institute or his representative	- Member;
iv.	Nominee of M/o MSME	- Member

vi.	Nominee of D/o Science & Technology	- Member;
vii.	Director (IFW-DHI)	- Member;
viii.	Director (HE&MT - DHI)	- Member
viii.	Nominee of other relevant Ministries/ Departments as required necessary	- Member;
ix	Technology Experts (three)	- Members and;
x	Industrial Adviser (HE&MT)	- Member Secretary.

14.2 The Committee may evolve an online system for its operation.

14.3 The Committee may outsource one or all proposals for evaluation and monitoring. However, the Committee has to send its recommendation to the Apex Committee as per the prescribed time schedule.

14.4 The Committee may co-opt/ invite/ involve expert/s on need basis under the empowerment accorded to the Secretary (Heavy Industry).

14.5 If deemed necessary it will meet the applicant in DHI and /or at site.

15 COMPOSITION OF THE APEX COMMITTEE

15.1 The composition of the Apex Committee will be as under :

I.	Secretary (Heavy Industry), DHI	- Chairman;
II.	AS & FA, DHI	- Member;
III.	Prominent Industrialists from CG Sector (2 from large and two from SME sector)	- Members;
IV.	Adviser (Industry), Planning Commission	- Member;
V.	Representative of Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) not below the rank of Joint Secretary	- Member;
VI.	Representative of Ministry of Medium, Small & Micro Enterprises (MSME) not below the rank of Joint Secretary	- Member;
VII.	Representative of Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) not below the rank of Joint Secretary	- Member;
VIII.	Representative of National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) not below the rank of Joint Secretary	- Member;
IX.	Representative of Ministry of Human Resource Development not below the rank of Joint Secretary	- Member;
X.	Director General (Bureau of Indian Standards)	- Member;
XI.	Director General (Mines & Safety)	- Member;
XII.	Director General (CII)	- Member;
XIII.	Director General (FICCI)	- Member;
XIV.	Chairman, State Bank of India (SBI)	- Member;
XV.	Chairman, Small Industries Development Bank of India (SIDBI)	- Member
XVI.	Nominee of other relevant Ministries / Departments as required necessary	- Member;
XVII.	Director, Central Manufacturing Technology Institute	- Member and;
XVIII.	JS (HE&MT), DHI	- Member-Secretary.

15.2 The Apex Committee may co-opt and /or invite other experts on need basis.

15.3 The Apex Committee may meet as often as necessary and may endeavour to give its decision within four months of the submission of the complete proposal.

16 SCHEME/ PROJECT MONITORING AND EVALUATION

16.1 The Screening Committee shall regularly monitor the progress of the scheme preferably using online tools.

16.2 The applicant will present quarterly progress / closure reports in the prescribed format to the Screening Committee, who will verify and ensure the progress as per the approval by the Screening Committee.

16.3 The screening Committee may outsource one or more approval monitoring.

16.4 The screening committee can also involve subject experts in these tasks.

16.5 Quarterly Progress of all approvals will be submitted to the Apex Committee for their guidance.

16.6 An independent agency at the end of plan shall evaluate the overall impact of the scheme.

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.